



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102023-249563
CG-DL-E-19102023-249563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4405]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 4405]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4579(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल लिबेरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री मनीष चौधरी की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/2/2023-एन ई -V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2023

S.O. 4579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Manish Choudhury, Judge of the Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and the All Tripura Tiger Force (ATTF) as Unlawful Association.

[F. No. 11011/02/2023-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.